उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:99/2019/1807/छप्पन-2019-56/2010
लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2019

नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 के अधीन परिचालन इकाई उ0प्र0 में पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1575/छप्पन-2010-20/2010, दिनांक 10.12.2010 के द्वारा नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार मात्र) पर दिनांक 01.12.2010 से 05 वर्ष (पाँच वर्ष) के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा द्वारा दिनांक 01.12.2010 के पूर्वान्ह में योगदान प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त कार्यालाय-ज्ञाप संख्या 119/छप्पन-2016-56/10, दिनांक 29.01.2016 द्वारा दिनांक 01.12.2015 से दिनांक 30.11.2016 तक आगामी एक वर्ष के लिए श्री पड्डा की संविदा अवधि बढ़ायी गयी थी। तत्क्रम में कार्यालाय-ज्ञाप संख्या 1170/छप्पन-2016-56/10, दिनांक 22.11.2016 द्वारा दिनांक 01.12.2016 से आगामी 03 वर्ष के लिए श्री पड्डा की संविदा अवधि बढ़ायी गयी थी, जो दिनांक 30.11.2019 को समाप्त हो रही है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवगत कराया गया है कि विंग कंमा0 जी0एस0 पड्डा निदेशालय की फ्लीट में उपलब्ध अगुस्ता-109 एस0 हेलीकाप्टर के इन्स्ट्रक्टर तथा बेल-412 हेलीकाप्टर के पायलट-इन-कमाण्ड हैं, जो विभाग के लिए एक उपयोगी एवं उपयुक्त पायलट हैं। श्री पड्डा का वर्तमान में मासिक पारिश्रमिक रूपये 5,46,978 /- (रूपये पाँच लाख छियालिस हजार नौ सौ अठ्हत्तर मात्र) हैं एवं उनकी जन्म तिथि- 08.10.1964 है। विंग कंमा0 जी0एस0 पड्डा की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपये 5,46,978 /- (रूपये पाँच लाख छियालिस हजार नौ सौ अठ्हत्तर मात्र) तथा शासनादेश दिनांक 09.09.2014 के प्राविधानानुसार यथा समय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से अग्रेत्तर 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 (अर्थात 04 वर्ष, 11माह) तक बढ़ा दी जाय।

3- अत: श्री राज्यपाल विंग कंमा0 जी0एस0 पड्डा पायलट(रोटर विंग) की संविदा अवधि दिनांक 01.12.2019 से अग्रेतर उनकी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 (अर्थात 04 वर्ष, 11माह) तक वर्तमान नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 5,46,978 /- (रूपये पाँच लाख छियालिस हजार नौ सौ अठ्हत्तर मात्र) तथा शासनादेश दिनांक 09.09.2014 के प्राविधानानुसार यथा समय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य वही शर्तें लागू होंगी, जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

5- विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित पपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को एक पक्ष में उपलब्ध कराया जायेगा।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा,
पायलट (रोटर विंग)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0
लखनऊ।

संख्या : 99/2019/1807(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. महालेखाकार(आर्थिक एव राजस्व लेखा परीक्षा) , उ0प्र0, ई0 एस0-111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी0-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।